राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 845वीं बैठक दिनांक 24.04.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/68/2024	1 (a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8480/2021	1 (a)	सतना	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	P2/69/2024	1 (a)	छिन्दवाड़ा	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	10558/2023	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	For Delist	Delisted
5.	P2/70/2024	8 (a)	रतलाम	भवन निर्माण	For Suggestion	स्पष्टीकरण
6.	P2/71/2024	1 (a)	डिण्डौरी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
7.	P2/99/2024	1 (a)	आगर–मालवा	पत्थर, मुरूम एवं एम.सेण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9972/2023	1 (a)	कटनी	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	P2/75/2024	1 (a)	बुरहानपुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	10380/2023	1 (a)	दतिया	क्वार्टस एवं फेल्सपार खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	P2/72/2024	1 (a)	ग्वालियर	फर्शीपत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
12.	P2/74/2024	1 (a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
13.	10662/2024	5(f)	भिण्ड	Synthetic Organic Chemical	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	P2/76/2024	1 (a)	खरगौन	मुरूम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	P2/77/2024	1 (a)	उज्जैन	पत्थर, मुरूम एवं एम.सेण्ड खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	P2/78/2024	1 (a)	सिवनी	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

17.	P2/310/2024	1 (a)	खण्डवा	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	P2/79/2024	1 (a)	कटनी	फर्शीपत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
19.	P2/82/2024	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/83/2024	1 (a)	खरगौन	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
21.	P2/93/2024	1 (a)	राजगढ़	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
22.	P2/308/2024	1 (c)	सीहोर	सिचाई परियोजना	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
23.	9876/2023	1(c)	धार	सिचाई परियोजना	ToR में संशोधन	स्वीकृत
24.	10999/2023	1 (a)	दमोह	मुरूम खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10997/2023	1 (a)	सतना	लेटेराईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	10998/2023	1 (a)	श्योपुर	मिट्टी खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9857/2023	1 (a)	निवाड़ी	ग्रेनाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
28.	11009/2023	3(a)	धार	Proceessing unit to produce	For ToR	ToR स्वीकृत
29.	10824/2023	1 (a)	देवास	पत्थर खदान	For ToR अनुशंसित नहीं	Delisted
30.	11004/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
31.	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का परिपालन बावत्।					

1. **प्रकरण क्र. P2/68/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री रामसिंह रसोनिया आत्मज श्री भागीरथ रसोनिया, निवासी– ग्राम पांजरी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8820 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्रम पांजरी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा **SEAC** की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का पत्र क्र. 926 दिनांक 05.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 04.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 8480/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सांई स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री सचिन मिश्रा आत्मज स्व. श्री आर.के. मिश्रा, निवासी– ग्यान कॉलोनी, रीवा रोड़, मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12996 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.045 हेक्टेयर, खसरा 1135/942, 1136/942, ग्राम बठिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) तथा SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना का पत्र क्र. 539 दिनांक 14.02.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 13.02.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. P2/69/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उदय इन्टरप्राईजेज, प्रो. श्री गोकुल आर्या, निवासी– आर–27, होटल प्लेजर के पीछे, एमपी नगर जोन–1, भोपाल (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20,520 टन प्रतिवर्ष, रकबा 14.691 हेक्टेयर, खसरा 254, ग्रम लोहानी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731 वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **Case No 10558/2023:**Environment Clearance for Construction of Integrated Township-" Omaxe City-II (Mangliya)" in an area of 35.776 Ha. at (Khasra No. 205, 307/1/1 GH, 209,

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

310/2, 310/3/1 K, 311/1, 311/2/K, 219, 321, 222, 223, 224, 227/1, 227/2) Village-Manglya, Tehsil-Sawer, District-Indore, (MP)Shri Sushant Lambhate, Suprintendent Authorized Signatory, M/s OMAXE LIMITED, 201, FF-58, Orbit Mall, A.B. Road District-Indore (MP)-452001,. (Violation) (INFRA2/459195/2024)

प्रकरण पर 731 SEAC वीं बैठक दिनांक 19/03/24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"प्रकरण आज सेक की 731 वीं बैठक दिनांक 19/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि यह वायलेशन का प्रकरण है और वर्तमान में प्रचलित वायलेशन के निर्धारण हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय जारी O.M. Dated 07/07/2021 एवं O.M. Dated 28 /01/2022 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के W.P.(C) No. 1394/2023 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया । समिति चर्चा उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक इस इस प्रकरण को डिलिस्ट करने का निर्णय लेती है " ।

उक्त परियोजना **SOP dated 7th July 2021 and OM dtd 28th January 2022Violation** के अंतर्गत **MPSEIAA** में पर्यावरण स्वीकृति हेतु पंजीबद्ध है।**Violation**प्रकरण के सम्बन्ध में MoEF&CC द्वारा *F.No.IA 3-3/4/2024-IA.III[E230791],* दिनांक *08-01-24*को ***Stay imposed by Hon'ble Supreme Court with reference to the SOP dated 7th July 2021 and OM dtd 28th January 2022-reg*** कार्यालयीन ज्ञापन जारी किया गया है जिसमे उल्लेख है :–

> *"4........the Ministry issued an OM dated 28th January,2022 for circulating the above order of Hon'ble supreme Court to all the EAC and SEIAAs/SEACs.In view of the above observations of the Hon'ble supreme Court, violation proposals pertaining to all the States except the State of Tamil Nadu were being appraised at the Central level and the respective SEIAAs/SEACs.*
>
> *5. However,the Hon'ble Supreme Court in W.P.(c) No.1394/2023 titled Vanashakti vs. Union of India, has stayed the operation of both the Office Memoranda dated 7thjuly 2021 and dated 28th January 2022 issued by this Ministry".*

उक्त आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेश जारी होने तक violation सम्बंधित परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा। SEAC, परियोजना प्रस्तावक एवं सर्वसंबधितों को सूचनार्थ।साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु पत्र लिखा जाये।

a) परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।

b) साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।

c) परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. **Case No P-2/70/2024:** Prior Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District- Ratlam (M.P.). Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sq.m.by Shri Akash Shukla, Authorized Person, M/s SAMDARIYA BUILDERS (RATLAM) PRIVATE LIMITED M.I.G., Vikram Nagar, Ratlam, (M.P.) – 457001. (INFRA2/456558/2023) Cat. 8 (a) Project. B2

प्रकरण पर 731 SEAC वीं बैठक दिनांक 19/03/24 **में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

1. प्रस्तावित वाणिज्यिक परिसर "समदरिया गोल्ड कॉम्प्लेक्स (रत्न एवं आभूषण)" खसरा नंबर 100 (रतलाम), 104/2 (रतलाम), 105 (रतलाम), 106/2/2 (रतलाम), 108/2/2 (रतलाम), 116/2 (रतलाम)पर मेसर्स समदरिया बिल्डर्स (रतलाम) प्राइवेट लिमिटेड, श्री किशोर समदरिया द्वारा विकसित किया जाना है। परियोजना के लिए कुल भूखंड का आकार 24900 वर्गमीटर. (2.49 ha) तथा निर्मित क्षेत्र 125576.802 वर्गमीटर. है ।
2. प्रस्तावित परियोजना में दुकानें, कार्यालय, बैंक्वेट हॉल, फूड कोर्ट और मल्टीप्लेक्स आदि शामिल हैं।
3. प्रस्तुतिकरण के दौरान समिति द्वारा गूगल इमेज टाइम लाइन पर पाया गया पहले परियोजना स्थल पर कुछ पेड़ मौजूद थे जिसे परियोजना हेतु कटा गया है। इस संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार ने प्रस्तुत किया कि नगर निगम से पेड़ काटने की अनुमति प्राप्त करने उपरांत ही पेड़ को कटा गया है। समिति ने पाया कि पत्र क्रमांक 0001/8000702173/यू.टी./2023 दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से नगर निगम, रतलाम से पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी, जबकि पत्र क्रमांक पीएमटी/आरएटी/0250/029/2024, दिनांकः 18/01/2024 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को भूमि आवंटित किया गया था। । इस प्रकार परियोजना क्षेत्र के पर्यावरण स्वीकृति पत्र से पहले परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ों की कटाई की गई है।
4. *समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है जो कि एक प्रकार का बायलेशन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।*
   - *Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.*
   - *Construction of temporary sheds .*
   - *provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.*

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

The above activities shall be undertaken subject to the following:

I. *The land should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained.*

II. *In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.*

III. In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.

IV. *The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.*

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन कर प्रस्तुत करें।

1. ***Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.***

2. ***Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.***

3. ***The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.***

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के प्रकाश में समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है अतः सिया द्वारा इस सबंध में निर्णय लिया जावे कि इसे वायलेशन माना जावे अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

6. **प्रकरण क्र. P2/71/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम बंजारा, निवासी— मुनी की रेठी, सी—1, धलवाला टेहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (अनुमोदित खनन योजना अनुसार), रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा 574, ग्राम किसलपुरी, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन श्री श्याम बंजारा के नाम से है जबकि आवेदक के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज एवं लीज स्वीकृति आदेश मेसर्स हिलवेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. के नाम से है तथा हिलवेस कम्पनी का ऐसा कोई भी दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है जिसमें उल्लेख हो कि उक्त पर्यावरण स्वीकृति श्री श्याम बंजारा के नाम से प्रदान की जाये। अतः परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हिलवेस कम्पनी का अभिप्रमाणीकरण अपलोड करें कि जिसमें उल्लेख हो कि उक्त पर्यावरण स्वीकृति श्री श्याम बंजारा के नाम से प्रदान की जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. P2/99/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम सिंह चौहन आत्मज श्री गुलाब सिंह चौहान, निवासी— ग्राम पिपल्याविजय, तहसील बड़ौद, जिला आगर—मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर, मुरूम एवं एम. सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 3509 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 474, ग्राम जामली, तहसील बड़ौद, जिला आगर—मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक—ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट—1) तथा SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आगर–मालवा का पत्र क्र. 836 दिनांक 09.10.2023 एवं पत्र क्र. 71 दिनांक 18.01.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 08.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. आगर–मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 07 वृक्षों में से काटे जाने वाले 03 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 30 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 9972/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिग्नेचर सिक्युरिटीज़ एल.एल.पी., पार्टनर, श्री सुभाष चंद बंसल, निवासी शॉप नं. 209, ब्लॉक ए–6, एल.एस.सी. पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063, द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50032 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.430 हेक्टेयर, खसरा नं. 659, ग्राम भदावर, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) तथा SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. संचालनालय भौमकी तथा खनिकर्म का पत्र क्र. 1435 दिनांक 02.02.2022 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 01. 02.2052 तक वैध मान्य रहेगी।

II. लीज क्षेत्र का लैण्ड यूज चारागाह प्रकृति का है अतः SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन मण्डलाधिकारी कटनी के माध्यम से समीपस्थ वन क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि में चारागाह विकास एवं जल संरक्षण के कार्य किये जाने हेतु राशि रू. 5.0 लाख वन विभाग के FDA खाता में जमा कराई जाये।

III. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VI. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस–पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 20 वृक्षों में से काटे जाने वाले 06 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 60 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में स्थित पेड़ो को काटा नहीं जायेगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. **P2/75/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल राठौर आत्मज श्री कडू राठौर, निवासी– ग्राम जैनाबाद, तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.), द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नं. **292/2, 292/4**, ग्राम घनश्यामपुरा, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 731वी बैठक दिनांक **19.03.2024** की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा **SEAC** की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बुरहानपुर का पत्र क्र. 940 दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 25.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. बुरहानपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस--पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 10380/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दृष्टि माईनिंग, श्री अनिल गुप्ता, निवासी ई–7/626, अरेरा कालोनी, आर.एस. नगर, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा क्वार्टज व फेल्सपार खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 95000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.475 हे., (3.59 हेक्टेयर SEAC द्वारा अनुशंसित) खसरा 210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम – सबदलपुर, तहसील – दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) तथा SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया का लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 9017 दिनांक 23.12.2022 के माध्यम से उक्त लीज हेतु दिनांक 10.01.2046 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 10.01.2046 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सडक से न्यूनतम 50 मीटर एवं गूगल ईमेज पर परिलक्षित धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 6.475 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए मात्र 3.59 हेक्टेयर क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जायेगा।

IV. क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 130 वृक्षों में से काटे जाने वाले 115 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 1200 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

VIII. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. P2/72/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप दुबे आत्मज श्री बी.एस. दुबे निवासी– डी.एच.–59, शुभम लॉज के पास, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.650 हेक्टेयर, खसरा 948, ग्राम जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में **ToR** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. P2/74/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री भिगुराशन गुप्ता आत्मज श्री नथई प्रसाद गुप्ता, निवासी– खड़िया बाजार, शक्तिनगर, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 58544 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.01 हेक्टेयर, खसरा 129/1, 129/2, 129/3, 141/1/2, 141/2, ग्राम करामी, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में **ToR** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज के बाहर खुदे हुए क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. **Case No 10662/2024**Prior Environment Clearance for Proposed Synthetic Organic Chemical Production (Azodicarbonamide -Adc, Dinitroso Pentamethelene Tetramine-DNPT) At Plot No. 19, 20 GAA Industrial Area, Malanpur, Dist.-Bhind(M.P.)Product & Production Capacity - Azodicarbonamide-ADC, Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT) Capacity - 3000 TPA, Total Plot Area of 8000 sq.m. byM/s Chemigreen

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Chemicals., through Owner of Chemigreen Chemical Shri Narender Goyal, 156, Ravi Nagar, Behind GDA Office, Gwalior(M.P.), 474009. (IND3/459571/2024)

1. यह प्रस्तावित सिंथेटिक कार्बनिक रसायन उत्पादन (3000 टीपीए) (प्लॉट नंबर 19,20 जीएए इंडस्ट्रियल क्षेत्र, मालनपुर), ग्राम–तिलोरी, तहसील–गोहद, जिला–भिंड(म.प्र.)। श्रेणी 5 (एफ) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. SEAC की 696 वीं बैठक दिनांक 22.11.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 819वीं बैठक दिनांक 06-12-2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 2294 दिनांक 18.12.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 732 वीं दिनांक 20.03.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 10 से 20 तक अंकित है।
4. परियोजना में प्रस्तावित प्रोडक्ट और Production Capacity निम्नानुसार 3000 TPAहै: –

S.No.	Name Of Proposed Product	Quantity in TPA	Major Uses/ End Use
1	Azodicarbonamide -ADC,	1800+1200	Shoe/ Rubber Industries
2	Dinitrosopentamethelene Tetramine (DNPT)		
	Total (TPA)	**3000**	

5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है : –

Particulars	Details
Proposal No.	SIA/MP/IND3/459571/2024.
Date of submission of application	23.01.2024
Case Considered in SEAC meeting for EC	732 SEAC Meeting dated 20.03.24
Location of the Project	latitude 26°346165'N and longitude 78°270883
Plot Area details	Total Plot Area of 8000 M^2
Production capacity	3000 MT per Anum
Estimated Project Cost	Proposed : 4.12 Crore
EMP Cost (Capital)	Proposed : 64.50 Lacs
EMP Cost Recurring	Proposed : 36.40 Lacs
Acquired Land	8000sq.mt
Total Water Consumption	33.60 KLD
Net fresh Water Consumption	As fresh water 17.60 KLD as 16KLD of treated water will be recycled.
Source of Water Supply	AKVN
Waste Water Generation	22.55 KLD
Treatment Facility proposed	Effluent treatment facility ETP is of 25 KLD, RO of 20 KLD and proposed MEE of KL/day. The treated water will be used for

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	recycling, cooling towers, floor washing and green belt.
Source of power supply	Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co Ltd., Bhopal
Power Requirement	Total :125 KVA
Fuel Options Coal/Agro waste (TPD) FO (Lit/Hr)	Total : For steam Boiler (2TPH) PNG kg /hr For DG set (-65-KVA) HSD -10 Lit/hour
Major Equipments	Reactors, Tanks, Pulveriser, blower Boiler (2 TPH), Cooling Tower, MEE, ETP, Dryer Centrifuge , DM Water and RO etc.
Green belt (sq.m)	2640 sq.m.(33%)
Employment generation	40 to 45 no.
CER Cost	5.0 Lacs

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से V विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विशिष्ट शर्तेः–

i. समिति के समक्ष की गई प्रतिवद्धता के अनुसार कार्बन फुट प्रिंट में कमी को पूरा करने के लिए प्रस्तावित 40 केवीए की सौर ऊर्जा इकाई और 2 टीपीएच के पीएनजी आधारित बॉयलर का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें ।

ii. Solid/Hazardouswaste के निपटान के लिए संबंधित विभाग से वैध सदस्यता प्राप्त करें और उसकी प्रति अनुपालन प्रतिवेदन के साथमें जमा करें ।

iii. कार्बन ब्लैक निर्माण के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों में उल्लिखित सभी शर्तों /मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

iv. इकाई के अंदर वायु प्रदुषण के नियंत्रण हेतु उचित उपाय करें।

v. यूनिट के अंदर उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध को रोकने हेतु उचित प्रबंध करें।

14. प्रकरण क्र. P2/76/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री जुल्फकार खॉन आत्मज श्री दिलावर खॉन, निवासी– ग्राम लोहारी, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.), द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा नं. 196, ग्राम गुजारी, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(परिशिष्ट–1) तथा SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन का पत्र क्र. 1719 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 10.12.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 12 वृक्षों में से काटे जाने वाले 06 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 300 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. P2/77/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय मेहता आत्मज श्री प्रताप मेहता, निवासी– 25, नमक मण्डी, जिला उज्जैन (म.प्र.), द्वारा पत्थर, मुरूम एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता मुरूम 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष से पत्थर 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर (3.16 हेक्टेयर SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा नं. 38 भाग, ग्राम बोडानी, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 819 दिनांक 31.03.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु दिनांक 20.09.2030 स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 20.09.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले वेयर हाउस से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए मात्र 3.16 हेक्टेयर क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

VII. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भोपाल द्वारा जारी सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 21.03.24 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित विशिष्ट शर्तों के बिंदु VII के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

16. **प्रकरण क्र. P2/78/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष परधान आत्मज श्री सुखराम परधान, निवासी– ग्राम बलरपुर, सीहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 10, ग्राम राधादेही, तहसील सिवनी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(परिशिष्ट–5) तथा **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में **ToR** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण क्र. P2/310/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., निवासी– 47, सोमानी नगर, एरोड्रम रोड़ जिला इन्दौर (म.प्र.), द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.93 हेक्टेयर, खसरा नं. 1545/2, 1545/4, ग्राम बोरगांवबुजुर्ग, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खण्डवा का पत्र क्र. 1155 दिनांक 22.12.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु अस्थाई अनुज्ञा (3 वर्ष) की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 21.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

II. खण्डवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले निर्माणाधीन वेयर हाउस से न्यूनतम 200 मीटर एवं नाले से दोनो ओर न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. **प्रकरण क्र. P2/79/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खरे स्टोन एण्ड टाईल्स, पार्टनर श्री किशोर कुमार खरे, निवासी– खिरानी फाटक, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2349 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.85 हेक्टेयर, खसरा 1259, ग्राम डांग, तहसील रीठी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा **SEAC** की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में **ToR** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. **P2/82/2024** परियोजना प्रस्तावक श्री रविकुमार शिवहरे आत्मज श्री रामऔतार शिवहरे, निवासी– वार्ड नं. 6, ग्राम बारीगढ़, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.), द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 1222/1, 1222/2, 1239/2/ख, 1239/4/2, 1240/3, 1251, ग्राम मुड़हरा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क एवं लीज क्षेत्र के चारो ओर कृषि भूमि परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार कृषि भूमि से 25 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

20. **प्रकरण क्र. P2/83/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कानूनगो आत्मज श्री गणेश कानूनगो, निवासी– 11 प्रयाग पार्क कॉलोनी, सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.601 हेक्टेयर, खसरा 84/1, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, ग्रम झिगड़ी, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तो सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. P2/93/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सारण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, संचालक श्री कृष्णपाल सारण, निवासी– 151, सारण सदन, प्रथम रोड़ सुभाष नगर, पाल रोड़, जिला जोधपुर (राज.), द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85048 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.195 हेक्टेयर, खसरा नं. 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 85/1, 86/2, 87, ग्राम कडियाखीची, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 160 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क एवं लीज क्षेत्र के चारो ओर कृषि भूमि परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार कृषि भूमि से 25 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

22. **Case No P2/308/2024:** Prior Environment Clearance for Dobi Irrigation Project in an area of 19,468 ha. at 51 Villages Village: Dobi Jait, Tehsil: Budhni, Dist.: Sehore,(MP) by Shri Mukesh Raikwar, Executive Engineer, O/o Department of Irrigation, 59, Narmada Bhavan, Arera Hills, District-Bhopal, (MP)- 462011,Email: eenvda23@mp.gov.in

1. उक्त प्रकरण डोबी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना गाँवः डोबी जैत, तहसीलः बुधनी, जिलाः सीहोर, म.प्र. के 51 गांवा में 19468 हेक्टेयर (सीसीए) क्षेत्र हेतु प्रस्तावित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

2. ईआईए अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, कमांड क्षेत्र >10,000 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं को मद 1(सी) में में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त परियोजना 19468 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र है, इस कारण प्रकरण "बी1" श्रेणी के अंतर्गत विचाराधीन है।
3. पूर्व में उक्त परियोजना में MPSEIAA द्वारा के 'B2' श्रेणी के अंतर्गत EC vide Identification No. EC23B003MP128699 File No. 10448/2023 के माध्यम से दिनांक 27/10/2023 को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी।
4. अब, राज्य सरकार ने परियोजना के कमांड क्षेत्र को 19,468 हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित किया है। इसलिए, यह परियोजना अब बी1 श्रेणी में शामिल हो गया है। इसलिए, ईआईए अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर के लिए बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है।
5. डोबी सिंचाई परियोजना का मुख्य उद्देश्य खुली नहर(open canal)और सूक्ष्म सिंचाई(micro irrigation).दोनों के साथ 51 गांवों में 19,468 हेक्टेयर खेती हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान करना है।
6. परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 3 हेक्टेयर है जो पूरी तरह स`निजी भूमि होगी जिसमें से 2 हेक्टेयर पहले ही मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग (एमपीडब्ल्यूआरडी) द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। इसमें कोई वनभूमि शामिल नहीं है.। किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाएगा।
7. रातापानीवन्य जीवन अभयारण्य निकटतम परियोजना सीमा से 12.30 किमी दूर है।
8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 45 से 49 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि परियोजना में पूर्व में 8544 ha CCA हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा चुकी है,वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा 19,468 ha CCA हेतु आवेदन किया है अतः प्रकरण EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 7(ii) के अनुसार एक्सपेंशन का है परियोजना को एक्सपेंशन के दृष्टिगत परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु SEAC प्रेषित किया जाये।

23. Case **No 9876/2023:** Prior Environment Clearance for Kukshi Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 75,000 Ha. of CCA in Dhar district. (115 villages of Kukshi Tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 01 village of Dahi Tehsil and 33 villages of Manawar Tehsil,District-Dhar) (MP) by Chief Engineer, NVDA Lower Narmada Pojects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar Indore (MP) **Amendment in TOR.**

1. कुक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना 75,000 हेक्टेयर (सीसीए) में धार जिले(एमपी) कीकुक्षी तहसील के 96 गांवों और गंधवानी तहसील के 79 गांवों के क्षेत्र में सिंचाई हेतु (नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. SEAC की 646 वीं बैठक दिनांक 16.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAAकी 790 वीं बैठक दिनांक 31.05.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 640 दिनांक 06.06.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।
3. तत्पश्चातपरियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करने के बाद, प्रस्तावित परियोजना के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 40.15 हेक्टेयर से बढ़कर 251. 69 हेक्टेयर हो गई। इसी तरह वन क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, पहले इसमें 33.90 हेक्टेयर शामिल था जो बढ़ कर 220 हे. हो गया था।
4. SEAC की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023(विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 55 से 59 पर अंकित है।)में पीपी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना केभूमि के विभाजन (वन एवं गैर–वन) में निम्नलिखित संशोधनों को शामिल करने के साथ टीओआर में अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधन करने की सिफारिश की की गई थी :–

Land Requirement Comparison		
	As per Tor Granted	**Proposed amendment**
Forest (ha)	33.9	220.44
Non-Forest (ha)	6.25	31.25
Total	**40.15**	**251.69**

5. पुनः SEAC की 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 में उक्त प्रकरण में **संशोधन** किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAA की 813 वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 1837 दिनांक 26.10.23 के माध्यम से संशोधित ToR जारी किया गया था।

6. अब पीपी द्वारा टीओआर में दूसरे संशोधन के लिए मामला फिर से प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

- लाभान्वित ग्रामों की सूची संशोधित कर 175 ग्रामों के स्थान पर 247 ग्राम कर दी गयी एवं तहसील दो से चार हो गई है।

Particular	***As per ToR issed dtd. Wide letter no. 1837 dated 26.10.23***	***Proposed Amendment***
Gross Command Area(GCA) in ha a	137064	140972
Culturable Command Area(CCA)in ha	75000	75000
Tehsils	Kukshi & Gandhwani	Kukshi, Gandhwani, Dahi & Manawar
No. of Villages	175 96 villages of Kukshi tehsil & 79 villages of Gandwani tehsil	247 115 villages of Kukshi tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 1 village of Dahi tehsil and 33 villages of Manawar tehsil

- भूमि की आवश्यकता 251.69 हेक्टेयर एवं योजना के सभी मापदण्डसीसीए 75000 हेक्टेयर सहित यथावत रहेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. अब पीपी द्वारा टीओआर में दूसरे संशोधन के लिए मामला फिर से प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:—

- लाभान्वित ग्रामों की सूची संशोधित कर 175 ग्रामों के स्थान पर 247 ग्राम कर दी गयी। हालाँकि, पिछले टीओआर आवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया गया था।
- भूमि की आवश्यकता (251.69 हेक्टेयर) को छोड़कर योजना के सभी मापदण्डसीसीए 75000 हेक्टेयर सहित यथावत रहेगा।

Particular	*As per ToR issed dtd. Wide letter no. 1837 dated 26.10.23*	*Proposed Amendment*
Gross Command Area(GCA) in ha a	137064	140972
Culturable Command Area(CCA)in ha	75000	75000
Tehsils	Kukshi & Gandhwani	Kukshi, Gandhwani, Dahi & Manawar
No. of Villages	175 96 villages of Kukshi tehsil & 79 villages of Gandwani tehsil	247 115 villages of Kukshi tehsil, 98 villages of Gandwani tehsil, 1 village of Dahi tehsil and 33 villages of Manawar tehsil

8. SEAC की 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024(विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 49 से 54 पर अंकित है।)में पीपी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना संशोधनों को शामिल करने के साथ टीओआर में निम्नानुसारसंशोधन करने की सिफारिश की गई है:—

"Update the GCA from 137064 ha to 140972 ha and No. of villages from 175 to 247. Remaining terms of reference (TOR) shall remain same as recommended in 646th Meeting dated 16th May 2023& SEAC 682nd meeting 26/09/2023".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा प्रकरण में 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 646 वीं बैठक दिनांक 16.05.2023 एवं 682 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 की गई अनुशंसा व पूर्व मे सिया द्वारा जारी पत्र क्र 1837 दिनांक 26.10.23 को ToR में संशोधन को मान्य करते हुए पूर्व शर्तो को यथावत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित विन्दुओ में संशोधन कर पुनःसंशोधित ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबधितों को सूचनार्थ।

24. **प्रकरण क्र. 10999/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री महेश प्रसाद चौरसिया एल.एल.पी. निवासी— आजाद वार्ड, नियर जामा मस्जिद हटा, जिला दमोह (म.प्र.), द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, (2.32 हेक्टेयर SEAC द्वारा अनुशंसित) खसरा नं. 179/1(s), ग्राम बुढ़वार, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह का पत्र क्र. 540 दिनांक 28.07.2023 एवं पत्र क्र. 848 दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 27.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. दमोह जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर खनन क्षेत्र छोड़ते हुए मात्र 2.32 हेक्टेयर क्षेत्र में ही खनन कार्य किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

VI. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 10997/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप सिंह परिहार आत्मज श्री मृगेन्द्र सिंह परिहार, निवासी–12/1068, चौरसिया धर्मकांटा, उर्रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.), द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 845वी बैठक दिनांक 24.04.2024 का कार्यवाही विवरण

1.026 हेक्टेयर, खसरा नं. 346/1, 346/2, 346/6, 346/7पी, ग्राम अमझर, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तो सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 7411–13 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 15.06.2053 तक वैध मान्य रहेगी।

II. सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

V. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

26. प्रकरण क्र. 10998/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पायल इन्टरप्राईजेस, प्रो. श्रीमती मिथलेश देवी, निवासी– नेहरू स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 8, जिला श्योपुर (म.प्र.), द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2376 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 148, 150, 151, ग्राम मठेपुरा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) तथा SEAC की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर का पत्र क्र. 11030 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से उक्त लीज हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक 28.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

II. श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 9857/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट ऐल.ऐल.पी, पार्टनर श्री एम.के. मीना निवासी– प्रथम तल, चेतक काम्पलेक्स, नियर एफ.सी.आई. भवन जोन –2 एम.पी.नगर भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाइट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16895 घनमीटर

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रतिवर्ष, रकबा 3.290 हेक्टेयर, खसरा 1469, ग्राम बिजौर, तहसील निवाडी, जिला निवाडी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 एवं 718वी बैठक दिनांक 25.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 732वी बैठक दिनांक 20.03.2024 एवं 718वी बैठक दिनांक 25.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) तथा SEAC की एवं 718वी बैठक दिनांक 25.01.2024 में अधिरोपित समस्त शर्तों सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिद्ध बाबा मंदिर एवं से पक्की सड़क न्यूनतम 200 मीटर तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़े एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. **Case No 11009/2023:** Prior Environment Clearance for existing processing unit to produce Alluminium Zinc Alloy Steel, CR Coils and Sheets, Colour Coated Sheets, Galvanized Sheets and Electricity at Khasara No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tesil & Distt.-

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

Dhar (MP) by M/s. National Steel and Agro Industries Ltd.at Khasara. No. 25/1/4, Ghatabillod, Village Sejwaya, Tesil & Distt.- Dhar (MP), 454773. (TOR).

1. यह existing processing unit खसरा नंबर 25/1/4, घाटाबिल्लोद, ग्राम सेजवाया, तहसील धार जिला. धार (मप्र) में एल्युमीनियम जिंक मिश्र धातु इस्पात, सीआर कॉइल्स और शीट्स, कलर कोटेड शीट्स, गैल्वेनाइज्ड चादरें और बिजली,उत्पादन के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।श्रेणी: 3(ए).
2. यह इकाई 1987 में स्थापित की गई और अब पूर्ण स्वामित्व वाली JSW स्टील की सहायक कंपनी है।MoEF&CC संख्या SO 3250(E) दिनांक 20, जुलाई 2022द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसारexisting processing unit के नियमितीकरण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए ToR अंतर्गत आवेदित है।
3. उक्त अधिसूचना के अनुसार ऐसे परियोजनों को जान सुनवाई से छूट प्रदान की गई है।
4. यह एक रोलिंग मिल परियोजना है। ईआईए अधिसूचना 2006 एवं संशोधित 2009 के तहत सभी गैर–विषैले माध्यमिक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग >5000 टन/वार्षिक धातु घटकों का उत्पादन एसएन 3 (ए), बी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु शामिल किया गया है।
5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 732 वीं बैठक दिनांक 20.03.2024 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 11 से 18 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो एवं मानक शर्तोंके साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। विशिष्ट शर्ते निम्नानुसार है :–

1. चूँकि यूनिट पुरानी है अतः वर्तमान में आधुनिक तकनीकी को अपनाते हुए उत्पादन क्या बदलाव किये जा रहे है इसका संपूर्ण विवरण EIA में शामिल करें।
2. इसी प्रकार पर्यावरण दृष्टिगत यूनिट में होने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, Odor मैनेजमेंट एवं energy conservation हेतु आधुनिक तकनीकी को अपनाकर किस प्रकार improve किया जा रहा है उसका विस्तृत रूप से उल्लेख करें।
3. यूनिट के चारों ओर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट किया जावें।

29. प्रकरण क्र. 10824/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री बाबूलाल पाटवाला, निवासी– 91, सुख निवास, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19885 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 37/1, रकबा 3.74 हेक्टेयर, ग्राम धामन्दा, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

(संजीव सिंह) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

"........... प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नहि कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 20.04.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण में ई.आई.ए. प्रतिवेदन के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर ToR प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा अनुसार प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक से नॉन ब्लास्टिंग का संशोधन अनुमोदित माईनिग प्लान प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11004/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री लखविन्दर सिंह आत्मज श्री जगमेल सिंह, निवासी–हाउस नं. 1238, सेक्टर 90, एस.ए.एस. नगर, मोहाली (पंजाब) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150024 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 946, ग्राम बदौरकला, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से 40 मीटर की दूरी पर मानब बसाहट एवं 85 मीटर पर पक्की सड़क परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओ.ए. नम्बर 304/2019 के मापदण्ड अनुसार पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

31. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेन्ट्रल जोन) द्वारा पारित आदेश का परिपालन बावत्।

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. नम्बर 131/2023 (प्रभात मोहन पाण्डे विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में सीहोर जिले की रेत उत्खनन से संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन की अनुशंसा के दृष्टिगत एवं माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के परिपालन में प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा तैयार जबावदावा को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए जबावदावे को मान्य करते हुए माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुमोदन किया जाता है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. नम्बर 133/2023 (प्रभात मोहन पाण्डे विरूद्ध म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग व अन्य) बालाघाट जिले की रेत उत्खनन से संबंधित प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 अनुसार गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन की अनुशंसा के दृष्टिगत एवं माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 के परिपालन में प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा तैयार जबावदावा को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए जबावदावे को मान्य करते हुए माननीय एन.जी.टी. में प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुमोदन किया जाता है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष